पत्रांक–07 / विविध–187 / 2025 ....

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

साहिला, *भा.प्र.से.,*
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–.............................

विषय :– **बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित एवं नियुक्त विद्यालय अध्यापकों एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का महँगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि को HRMS Portal पर अद्यतन करने के संबंध में।**

प्रसंग :– बि0प्र0सु0मि0सो0 / HRMS-01/2024, सो0–1278 दिनांक–19.06.2025 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के परिप्रेक्ष्य में कहना है कि वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित एवं नियुक्त विद्यालय अध्यापकों एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का महँगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि को HRMS Portal पर अद्यतन किये जाने के संदर्भ में प्रासंगिक / सुसंगत राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तदालोक में अद्यतन तथ्य निम्नवत् है :–

1. **विशिष्ट शिक्षक**– बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 (समय समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् विशिष्ट शिक्षक कहलाते हैं। उक्त नियमावली के नियम–8.1, 8.2 एवं 8.3 में इन शिक्षकों के वेतन के संबंध में प्रावधान है। नियम 8.2 में अंकित है कि अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार मँहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता देय होगा। वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्नक–क के अनुसार देय होगा **(नियमावली की छायाप्रति संलग्न)** ।
2. **विद्यालय अध्यापक**– बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांन्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत वर्ग 1–5, वर्ग 6–8, वर्ग 9–10 एवं वर्ग 11–12 के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांन्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–4 के द्वारा नियमावली 2023 के नियम–13 के बाद नियम–13 क (फिटमेंट मैट्रिक्स) अन्तः स्थापित किया गया है। विद्यालय अध्यापकों का वेतन इसी फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुरूप देय है **(विद्यालय अध्यापक नियमावली की छायाप्रति संलग्न)।** शिक्षा विभाग के **स्वीकृत्यादेश संख्या–864** दिनांक–06.05.2023, **स्वीकृत्यादेश**

संख्या–430 दिनांक–05.05.2023, **स्वीकृत्यादेश संख्या–2159** दिनांक–06.10.2023 एवं **स्वीकृत्यादेश संख्या–787** दिनांक–15.03.2024 द्वारा विद्यालय अध्यापकों का पद सृजन किया गया है। उक्त स्वीकृत्यादेश के कंडिका–6 में अंकित है कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय भत्ते (मँहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता) पर विद्यालय अध्यापक का पद सृजन किया गया है **(सभी स्वीकृत्यादेश की छायाप्रति संलग्न)**।

ध्यातव्य हो कि उपर्युक्त दोनों नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के "परन्तुक" के अधीन अधिसूचित किया गया है। उक्त के तहत ही सभी विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति की गई है। इन शिक्षकों का वेतन सप्तम वेतन आयोग के तहत अनुशंसित अन्य कर्मियों से भिन्न है परन्तु देय भत्ते सप्तम वेतन आयोग के समान है।

अतः अनुरोध है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित एवं नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का महँगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि को HRMS Portal पर अद्यतन करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
(साहिला)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक– 07/विविध–187/2025 4081 पटना, दिनांक–14.11.2025

प्रतिलिपि:– सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।